अनुसूचित जाति / जनजाति कल्याणर्थ प्रकोष्ठ
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांकःअनु.जाति / जनजाति / प्रकोष्ठ / 2014 / 556 दिनांक 30/1/14

प्रति,

श्रीमान सहायक आयुक्त
आदिवीास विकास,
ग्वालियर

विषयः– अनुसूचित जाति / जनजाति छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के संबंध में बदलाव दिशा निर्देश भेजने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति / जनजाति छात्रों को छात्रवृति स्वीकृत करने हेतु शासन की ओर से कुछ बदलाव किये गये हैं। कुछ पाठ्यक्रमों में शिक्षण शुल्क बढोतरी के अलावा अन्य कोई जानकारी इस नोडल को प्राप्त नहीं हुई है। बदलाव दिशा निर्देश इस विश्वविद्यालय को प्राप्त न होने के कारण कई महाविद्यालयों का छात्रवृति कार्य लंबित है। अनुसूचित जाति / जनजाति के अधिकांश छात्र इस नोडल पर छात्रवृति स्वीकृत न होने संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिये आ रहे हैं परन्तु जानकारी के अभाव में संतोषजनक जानकारी देने में परेशानी उत्पन्न हो रही है।

अतः आपसे निवेदन है कि छात्रवृति स्वीकृत के संबंध में बदलाव दिशा निर्देश इस नोडल केन्द्र की ओर शीघ्रातिशीघ्र भेजने का कष्ट करें जिससे कि समय सीमा में छात्रवृति स्वीकृत की जा सके।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि –

1. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
3. विश्वविद्यालय (एस.सी.एस.टी.) बेब साइड पर अपलोड करने हेतु।

सहायक कुलसचिव
एस.सी. / एस.टी प्रकोष्ठ